



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव



## व्यवसाय योजना

### बुनाई

स्वयं सहायता समूह वीर जोगनी (छवारा उप-समिति)



जैवविविधता प्रबंधन कमेटी  
उप-समिति  
ग्राम पंचायत  
वन तकनीकी इकाई  
मण्डलीय प्रबंधन इकाई  
वन वृत्त समन्वय इकाई

न्यूल  
छवारा  
न्यूल  
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, कुल्लू  
वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू  
GHNP वृत्त, शमशी

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना  
(जाईका वित्तपोषित)

## विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4-5
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5-6
4.	समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष	6-8
5.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	9
6.	उत्पादन की प्रक्रिया	9-10
7	उत्पादन हेतु नियोजन	10
8	विपणन	10
9	श्रम का वितरण	10
10	शक्ति अवसर व जोखिम का ,दुर्बलता ,विश्लेषण	11-12
11	उधम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/ आकलन :	
	अ. पूंजीगत व्यय	12
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	12-13
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	13
	द. विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन	14
12	उधम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	14-15
13	समूह की वित्तीय आवश्यकता	15
14	समूह की वित्तीय संसाधन	15
15	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन प्वाइंट) की गणना	16
16	धनराशी की व्यवस्था	16-17
17	स्वयं सहायता समूह के नियम	17-18
18	समूह का सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	19
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	20

### 1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है। यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, संस्कृति व धार्मिक धरोहर से भरपूर है। राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है। इसकी आबादी 70 लाख के करीब

है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है। जिसमें कुल्लू जिला भी शामिल है। वन्यप्राणी मंडल कुल्लू में कुल्लू, मनाली वन परिक्षेत्रों में स्थापित प्रथम चरण की जैवविविधता प्रबंधन कमेटियों में इस परियोजना में उप-समितियां बनाई गई हैं और अभी तक प्रथम चरण की उपसमितियों में प्रत्येक उप-समिति में दो-दो स्वयं सहायता समूह जिनमें अधिकतर महिला सदस्य हैं, बनाये गए हैं।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) प्रारंभ होने पर जैवविविधता प्रबंधन कमेटी न्यूल के छवारा उप-समिति की सूक्ष्म योजना बनाई गयी है। इस उप-समिति में महिलाओं के दो स्वयं सहायता समूह गठित किये गए जिनमें से वीर जोगनी व नारायण दोनों समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी, मुफलर, कोटी आदि की बुनाई (Knitting) करने की गतिविधि का चयन किया।

उप-समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु अधिकतर परिवारों की औसत भूमि बहुत कम है। अन्य संसाधन कम व दूर होने के कारण विशेषकर महिलाओं की आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग मुख्यता गेहूँ, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, प्लम, खुमानी इत्यादि नकदी फसले उगाते हैं। परन्तु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह वीर जोगनी ने सिलाई व कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह का 27.11.2020 को गठन किया गया है। इस समूह में कुल 17 सदस्य हैं और सभी महिलाएं हैं। इस समान रूचि समूह को परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता से अवगत करवाया गया और समूह की महिलाओं ने ने विस्तार से चर्चा करने पर स्थानीय प्रचलन एवं नवीनतम फ्रेशन के अनुसार गरम धागों से निर्मित महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के गरम वस्त्रों की बुनाई करने का निर्णय लिया है।

वैसे तो अधिकतर महिलाएं हाथ से बुनाई में दक्ष होती हैं परन्तु, परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में स्वेटर मफलर आदि की मशीनों पर बुनाई, कोटी, पीटो, जुराब, का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसपर लगभग 3200 रु की राशी प्रति सदस्य पर एक महीने के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

यद्यपि समूह में सभी महिलाएं सामान्य श्रेणी से हैं परन्तु आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से सम्बन्ध रखती हैं अतः पूंजीगत व्यय का 75% भाग भी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,00,000/- रु० रिवोल्विंग फण्ड दिया जाएगा। रिवॉल्विंग फण्ड से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलेगी या आवर्ती व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः इन्होंने आवश्यक पूंजीगत व्यय को नकद जमा करके स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्यों का आपसी वंटवारा करेंगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे।

सदस्यों के पास आय सृजन की इस गतिविधि पर काम करने के किये नवम्बर से मार्च महीनों पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेती से सम्बंधित काम चरम पर होने के कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा। इस प्रकार से समूह के सदस्य औसतन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आजीविका बढ़ाने की इस गतिविधि को चलाएंगे।

## 2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	वीर जोगनी
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम. आई. एस. कोड	-
2.3	जैवविविधता प्रबंधन कमेटी का नाम	न्यूल
2.4	वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, कुल्लू
2.5	मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
2.6	गाँव	छवारा
2.7	विकास खण्ड	कुल्लू
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समूह के सदस्यों की संख्या	17
2.10	समूह के गठन की तिथि	27.11.2020
2.11	समूह के मासिक वचत की दर	100/-
2.12	बैंक तथा शाखा का नाम	काँगड़ा सेन्ट्रल कोप्रेटिव बैंक, बजौरा
2.13	बैंक खाता संख्या	50072980991
2.14	समूह की कुल वचत	22,000/- रु०
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-
2.16	समूह के सदस्यों द्वारा वापिस किये ऋण की स्थिति	-

वीर जोगनी (छवारा उप-समिति) समूह के सदस्यों का व्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्र.सं	सदस्य का नाम व पता सुश्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम श्री	पद	गाँव	आयु	लिंग	श्रेणी	संपर्क
1	रमना देवी	देवी सिंह	प्रधान	छवारा	32	स्त्री	सामान्य	9016012960
2	लक्ष्मी देवी	भूमि चन्द	सचिव	छवारा	28	स्त्री	सामान्य	7876801021
3	राम लीला	गीर सिंह	कोषाध्यक्ष	छवारा	46	स्त्री	सामान्य	9625286358
4	चंपा देवी	जोग राज	सदस्य	छवारा	32	स्त्री	सामान्य	8219346287
5	बिमला देवी	जीत राम	सदस्य	छवारा	32	स्त्री	सामान्य	7876059518
6	धर्मा देवी	लुदर चन्द	सदस्य	छवारा	36	स्त्री	सामान्य	8988962550
7	चुहड़ी देवी	ढाले राम	सदस्य	छवारा	32	स्त्री	सामान्य	7876048074
8	सवित्रा देवी	गीर सिंह	सदस्य	छवारा	40	स्त्री	सामान्य	9817034700
9	हिमा देवी	शेर सिंह	सदस्य	छवारा	33	स्त्री	सामान्य	7876592831
10	शर्मिला देवी	सूरत राम	सदस्य	छवारा	33	स्त्री	सामान्य	9816956094
11	किरना देवी	किशन चन्द	सदस्य	छवारा	28	स्त्री	सामान्य	8988224751
12	सुनीता देवी	मेहर चन्द	सदस्य	छवारा	33	स्त्री	सामान्य	8580544189
13	दिनेशा देवी	वीर सिंह	सदस्य	छवारा	25	स्त्री	सामान्य	7650901575
14	बालमा देवी	जीत राम	सदस्य	छवारा	42	स्त्री	सामान्य	7807833856
15	नीता देवी	कुर्म चन्द	सदस्य	छवारा	31	स्त्री	सामान्य	7018450868
16	विद्या देवी	हुकमे राम	सदस्य	छवारा	23	स्त्री	सामान्य	7650031192
17	तारा देवी	अनंत राम	सदस्य	छवारा	46	स्त्री	सामान्य	8219530146

### 3. गाँव की भौगोलिक स्थिति

3-1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	30 किलोमीटर
3-2	मुख्य सड़क से दूरी	अंतिम 3 km. सड़क निर्माणाधीन है
3-3	स्थानीय बाज़ार का नाम व दूरी	कुल्लू 30 किलोमीटर भुन्तर 20 किलोमीटर बजौरा 15 किलोमीटर
3-4	मुख्य बाज़ार से दूरी	यथोपरी
3-5	अन्य मुख्य शहरों व कस्बों से दूरी	शमशी 21 किलोमीटर मनाली 70 किलोमीटर
3-6	बाज़ार जहाँ उत्पादों की विक्री की जाएगी	भुन्तर, कुल्लू, शमशी, बजौरा मनाली,
3-7	गाँव से सम्बन्धित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से सम्बंधित हो	अधिकतर महिलाएं हाथ की बुनाई का काम जानती हैं

## 4. समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष

### (क) व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों ?

छवारा गाँव में जो कि जैवविविधता प्रबंधन कमेटी न्यूल की उप-समिति छवारा में पड़ता है, में महिलाओं का पहले से कोई भी समूह नहीं था। परियोजना के कार्य की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन की व्यवस्था के बारे बताया गया व महिलाओं के रुचि दिखने पर परियोजना में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। जिसमे वीर जोगनी समूह की सभी महिलाएं बुनाई का काम करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती है। समूह की अधिकतर महिलाये पहले से हाथ की सिलाइयों से बुनाई का कार्य करती है। बुनाई की मशीनों से प्रत्येक वस्तु को बनाने में कम समय लगेगा। महिलाओं के पास बुनाई की मशीन नहीं है और न ही मशीन की बुनाई में प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को इस कार्य में लगे समय के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रही है। इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से परियोजना से बुनाई की मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

### (ख) व्यवसाय योजना के उद्देश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढ़ोतरी।

### (ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

महिला व पुरुषों के स्वेटर, कोटी, जुराब, मफलर, टोपी, बच्चों के गरम वस्त्र आदि की मशीन पर बुनाई करेंगे।

### (घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

- (1) सामुदायिक गतिशीलता : इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलन के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थियों की छंटनी की गयी है।

(2) **समूह का निर्माण** : स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) **क्षमता का निर्माण** : लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्रावधान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

(4) **सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण** : समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीने उपलब्ध करवाई जाए ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सके तथा विक्रय योग्य सफाई भी उत्पादों में दिखे।

(5) **बाज़ार से जोड़ना** : महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गाँव तथा आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तथ बच्चों के लिए बुनाई का काम करेंगी। जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी। इस के पश्चात् वे बाज़ार से मांग के अनुसार अलग अलग तरह के डिजाईन के पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए गरम धागों से बुने वस्त्र बना कर निकट के बाज़ारों में बेचेंगी। अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबध स्थापित करने लिए तैयार है।

(6) **वित्तीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना** : व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा। ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% हिस्सा भी परियोजना की ओर से सीधे बैंक को चुकाया जायेगा।

(7) **बाज़ार की जानकारी** : सिले सिलाये परिधानों को मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा आस पास के गाँव में और निकट के कस्बों में विक्रय किया जायेगा।

(8) **निगरानी का तरीका** : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके हर छः महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदण्डों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा :

क. मांग में बढ़ोतरी व बाज़ार में उत्पादन की स्वीकार्यता।

ख. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी।

ग. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि।

घ. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी।

उप-समिति की कार्यकारिणी एवं उप-समिति की सामाजिक लेखापरीक्षण कमेटी (Social Audit Committee) समय समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे।

**(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :**

क. पूंजीगत व्यय का 75% या 50% श्रेणी अनुसार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी वचत राशी से, रिवाँल्विंग फण्ड से अथवा बैंक ऋण ले कर कार्य को आगे बढ़ाएगा।

ख. कुल कार्यकर्ता 17 सदस्य

ग. तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

**(10) अनुमानित लाभ :**

क महिलायों के लिए गाँव स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा।

ख इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकले गए थोड़े बहुत समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविधा देगा।

ग समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

**5. आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पादों का विवरण**

5-1	उत्पाद के नाम	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
5-2	उत्पाद तैयार करने की पद्धति	बाज़ार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श
5-3	स्वयं सहायता समूह की सहमति	सहमति पत्र संलग्न है।

## 6. उत्पादन की प्रक्रिया

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि की बुनाई का प्रशिक्षण किसी कुशल संस्था अथवा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। वीर जोगनी समूह के 17 सदस्य यह कार्य करेंगी। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह इस कार्य को मांग के अनुसार अधिक स्तर पर करेंगी।

1. **कोटी:** - समूह के 5 सदस्य डिजाईन वाली कोटी की बुनाई का कार्य करेंगे। अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 कोटी तैयार करेगा। इस प्रकार से पांच सदस्य एक माह में 75 कोटियाँ बना सकती हैं।

2. **स्वेटर:** - समूह के 5 सदस्य डिजाईन वाली स्वेटरों की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 स्वेटर तैयार करेंगे। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 75 स्वेटर बना सकती हैं।

3. **बच्चों के सेट:** - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाले बच्चों के सेट की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 बच्चों के सेट तैयार करेंगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 180 सेट बना सकती हैं।

4. **जुराबे:** - समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली जुराबों की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 जुराबों के जोड़े तैयार करेंगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 240 जुराबों के जोड़े बना सकती हैं।

5. **टोपी:** - समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली टोपी की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 टोपी तैयार करेंगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 240 टोपियाँ बना सकती हैं।

## 7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रति माह कार्य दिवस	30 दिवस ( 2 दिन औसतन 4-5 घंटे = 1 दिहाड़ी)
7.2	प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	17 महिलाएं (255 दिहाड़ियां )

7.3	कच्चे माल का स्रोत	कुल्लू, बजौरा व भुंतर
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	कुल्लू, भुंतर

## 8 विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गाँव व समीप के बाज़ार कुल्लू, भुंतर, शमशी, पतलीकूहल, मनाली आदि
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
8.3	ऋतू परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	यह कार्य साल भर होगा यद्यपि गर्मियों के लगभग चार माह मांग कम होगी।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गाँव व कस्बों की महिलाएँ, पुरुष व बच्चे। अधिकांश तैयार वस्तुओं के क्रेता पर्यटक होंगे।
8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा सम्पर्क व स्थापित हस्तकला के शो रूम, दुकानों में उत्पाद की विक्री या बुनाई का काम लेना होगा।
8.6	प्राथमिकतायें	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि। इस के अतिरिक्त गरम धागों के मफलर, स्कार्फ़ आदि की बुनाई भी मांग के अनुसार करेंगी।

## 9. श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। इस समय विचार है कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे परन्तु बाज़ार की मांग के अनुसार बुनी जाने वाली वस्तुओं में क्या क्या बुनना है, निर्भर करेगा। इस व्यवसाय योजना में तैयार किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या सांकेतिक मात्र है जो बाज़ार की मांग के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक सदस्य की रुचि, दक्षता तथा दिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा। सभी सदस्य बारी बारी लेन देन का हिसाब रखेंगे।

## 10. शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

### शक्ति :

1. सभी समूह सदस्य सामान व अनुकूल सोच रखते हैं व दृढनिश्चय हैं।
2. समूह के एक सदस्य आरम्भ में छोटे पैमाने पर बुनाई का कार्य करेंगे।

### दुर्बलता:

1. स्वयं सहायता समूह के लिए नया काम है ।
2. समूह में मशीन पर कार्य करने का अनुभव नहीं है ।

### अवसर:

1. समूह को बड़े स्तर पर काम मिल सकता है यदि वे सफाई, गुणवत्ता आदि पर ध्यान रखे ।
2. स्थानीय बाजारों में गरम वस्त्रों की मांग ठंडा क्षेत्र होने तथा पर्यटकों का आवागमन होने के कारण अधिक है ।
3. परियोजना द्वारा बुनाई की मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% सहायता उपलब्ध है ।
4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण मौके पर ही प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा ।

### जोखिम:

1. समूह में आन्तरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है ।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है ।
3. फेशन के अनुसार परिवर्तन न करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है ।
4. अनुभवी व कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा ।

### 11. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/आकलन:

#### अ) पूंजीगत व्यय

क्रमांक	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मूल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	बुनाई की मशीन	13	10000	130000	97500	32500
	योग			<b>130000</b>	<b>97500</b>	<b>32500</b>

\* अन्य छोटा आवश्यक समान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही हैं ।

\* उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे ।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशी
1.	परिवहन खर्चा	प्रति माह	-	L/S	1200
2.	कमरे का किराया	प्रति माह		L/S	800
<b>क ) कोटी (75 प्रति माह )</b>					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	50	625	31250
2	अन्य बटन आदि		75	L/S	600
3	मजदूरी	दिहाडी	75	275	20625
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- रु. प्रति		75	5	375
	<b>कुल</b>				<b>52850</b>
<b>ख ) स्वेटर (75 प्रति माह )</b>					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	57.5	625	35937
2	अन्य बटन आदि		75	L/S	500
3	मजदूरी	दिहाडी	75	275	20625
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- रु. प्रति		75	5	375
	<b>कुल</b>				<b>57437</b>
<b>ग ) बच्चों के सेट (180 प्रति माह )</b>					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	54	625	33750
2	अन्य बटन, इलास्टिक आदि		180	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 4/- रु. प्रति		180	4	720
	<b>कुल</b>				<b>47245</b>
<b>घ ) जुराब (240 प्रति माह )</b>					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	12	625	7500
2	कच्चा माल नायलॉन धागा	किलोग्राम	24	250	6000
3	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 2/- रु. प्रति		240	2	480
	<b>कुल</b>				<b>22230</b>
<b>ड ) टोपी (240 प्रति माह )</b>					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	34.5	625	21562
2	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250

3	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली इत्यादि 2/- रु. प्रति		240	2	480
	<b>कुल</b>				<b>30292</b>
	<b>योग आवर्ती लागत</b>				<b>210054</b>
	<b>योग कुल आवर्ती लागत (210054+2000)</b>				<b>212054</b>
	<b>आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत-मजदूरी) = 212054-70125</b>				<b>141929</b>
	<b>कुल व्यवसाय योजना लागत (पूँजीगत व्यय+आवर्ती व्यय) =130000+141929</b>				<b>271929</b>

(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्र. सं.	विवरण	धनराशी
1	कुल आवर्ती व्यय	212054
2	पूँजीगत व्यय पर 10% मूल्य ह्रास	1083
	<b>योग</b>	<b>213137</b>

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र) :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या	मजदूरी	औसत अन्य खर्चे	कुल धन राशी	प्रति नग लागत	आपेक्षित उत्पादन की मात्रा
1	कोटी	75	20625	32225	52850	705	77
2	स्वेटर	75	20625	36812	57437	771	75
3	बच्चों के सेट	180	12375	34870	47245	262	180
4	जुराबे	240	8250	13980	22230	93	240
5	टोपी	240	8250	22042	30292	127	240
	<b>योग</b>	<b>810</b>	<b>70125</b>	<b>139929</b>	<b>210054</b>		

- तैयार गरम वस्त्रों/ सेट्स की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या मांग के आधार पर तय होगा ।

निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदानी						
		वस्तु संख्या	लागत (श्रम + खर्चे)	प्राप्य/विक्रय राशि	लाभ %	कुल राशि
1	कोटी	75	705	1000	42	75000
2	स्वेटर	75	766	1150	50	86250
3	बच्चों के सेट	180	262	375	43	67500
4	जुराबे	240	93	125	38	30000

5	टोपी	240	126	175	39	42000
	<b>योग</b>	<b>810</b>				<b>300750</b>

12. उद्यम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क्र.सं.	मद	धनराशी
1	पूँजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	1083
2	<b>आवर्ती व्यय</b>	
क	किराया	800
ख	परिवहन	1200
ग	कच्चा माल धागा आदि	137499
घ	मजदूरी	70125
ङ	औसत खर्चा रिपेयर मशीन , पैकेजिंग ,स्टीकर , बिजली इत्यादि	2430
	<b>योग</b>	<b>213137</b>
3	कुल उत्पादन संख्या	810
5	उत्पादन की बुनाई की विक्री से प्रति माह आय	300750
6	कुल लाभ = 300750- (1083+213137)	86530
7	उत्पाद की विक्री से सकल लाभ = कुल लाभ +मजदूरी + कमरा किराया = 86530+70125 + 800	157455
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद से आय - (मूलधन व व्याज वापसी + दुसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय) = 300750- (1660+141929)	157161
9	उत्पादन आधा होने पर समूह में बाँटने योग्य राशि =उत्पाद विक्री का 50%- (औसत मूलधन व व्याज वापसी +दुसरे चक्र हेतु आवर्ती व्यय )=150375- (1660 +141929)	6786

- शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

13. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क्र०स०	मद	धनराशी (रु)
1	पूँजीगत व्यय	130000
2	आवर्ती व्यय का 50%	70965
	<b>योग</b>	<b>200965</b>

#### 14. समूह के वित्तीय संसाधन :

क्र०स०	संसाधन का विवरण	धनराशी
1	पूँजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	97500
2	लाभार्थी अंश	32500
3	समूह की आंतरिक बचत	22000
	<b>योग</b>	<b>152000</b>
	<b>अतिरिक्त राशि की आवश्यकता = 170965-152000</b>	<b>18965</b>
	<b>अथवा</b>	<b>19000</b>

- अतिरिक्त राशि कम होने के कारण समूह इस राशि का प्रबंध ऋण ले कर या रिवोल्विंग फण्ड की राशी से करेगा।

#### 15. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन पॉइंट) की गणना :

ब्रेक ईवन पॉइंट = पूँजीगत व्यय / प्रति उत्पाद की विक्री से लाभ

$$=130000/867=150 \text{ दिन अर्थात लगभग पांच माह}$$

उपरोक्त अनुपात में विभिन्न प्रकार के 810 सेट सिलाई करके देने पर ब्रेक ईवन पॉइंट 150 दिनों में प्राप्त होगा अर्थात इस गतिविधि में लगे पूँजीगत लागत को पांच महीनों में प्राप्त किया जा सकेगा।

#### 16. धनराशी की व्यवस्था :

क्र० स०	माह	ऋण वापसी						संचय ऋण वापसी	अवशेष ऋण		
		मूल धन	कुल व्याज	परियोजना द्वारा 5% ब्याज देय	समूह द्वारा ब्याज 7% देय	समूह द्वारा प्रति माह देय किश्त	कुल मूलधन वापसी		मुलधन	12 प्रतिशत ब्याज	कुल
1	माह 1								19000	190	19190
2	माह 2	1521	190	79	111	1711	1600	2500	17479	175	17654
3	माह 3	1527	175	73	102	1702	1600	5000	15952	160	16112
4	माह 4	1534	160	66	93	1693	1600	7500	14418	144	14563
5	माह 5	1540	144	60	84	1684	1600	10000	12879	129	13007

6	माह 6	1546	129	54	75	1675	1600	12500	11332	113	11446
7	माह 7	1553	113	47	66	1666	1600	15000	9779	98	9877
8	माह 8	1559	98	41	57	1657	1600	17500	8220	82	8302
9	माह 9	1566	82	34	48	1648	1600	20000	6654	67	6721
10	माह 10	1572	67	28	39	1639	1600	22500	5082	51	5133
11	माह 11	1579	51	21	30	1630	1600	25000	3503	35	3538
12	माह 12	1585	35	15	20	1620	1600	4354	0	0	0
13	माह 13	1918	0	0	0	1400	1400	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>19000</b>	<b>1243</b>	<b>518</b>	<b>725</b>	<b>19725</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1243</b>	<b>0</b>

क) समूह की महिलाएं पूंजीगत लागत के लाभार्थी के अंश को नकद राशि के रूप में नकद इकट्ठा करेंगी

ख) जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वे आवर्ती व्यय को भी लाभ के रूप में प्राप्त होने वाली राशी से बाज़ार से खरीददारी करेंगी।

ग) ऋण लेने पर परियोजना द्वारा कुल व्याज का 5% जो 518/- बनता है, सीधे बैंक को अदा किया जायेगा जिसे समूह की वाचत मन जा सकता है।

## 17. स्वयं सहायता समूह के नियम

1. समूह का काम : गरम धागों से वस्त्रों की बुनाई।
2. समूह का पता : गाँव छवारा , डाकघर न्यूल , जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
3. समूह के कुल सदस्य: 17
4. समूह की पहली बैठक की तिथि : 27.11.2020
5. समूह में हर 100 रूपए के ऋण पर 2 रूपए ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा।
9. स्वयं सहायता समूह का खाता कांगड़ा सेट्रल कोपरेटिव बैंक , बजौरा शाखा में खोला गया है तथा खाता संख्या 50072980991 है।
10. समूह की बैठक में गैर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी।


11. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठको तक समूह से गेर हाज़िर रहते हैं तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा ।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा ।
13. वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने पर समूह के प्रधान, कोषाध्यक्ष व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे ।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा ।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगा ।
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है अन्यथा नहीं ।
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी ।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रुपये की राशी होनी चाहिए ।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी ।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए ।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बाटी जाएगी ।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी ।


समूह का सहमती पत्र एवं स्वीकृति

आज दिनांक 16.12.2021 को वीर जोगनी स्वयं सहायता समूह (छवारा उप-समिति) की बैठक हुई। बैठक में प्रधान श्रीमती रामना देवी की अध्यक्षता में हुई जिसमें समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आय बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी आदि की बुनाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने की सहमती प्रदान करते हैं तथा उपरोक्त परियोजना की सहायता से सभी सदस्यों द्वारा चयनित की गई गतिविधि जो कि बुनाई है, को इसकी व्यवसाय योजना के अनुसार या बाज़ार की मांग के अनुसार सभी सदस्य मिलजुल कर सफल बनायेंगे।


*Laxmi Devi*  
समूह के सचिव के हस्ताक्षर

*Ramana Devi*  
समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

  
फील्ड तकनीकी यूनिट (FTU)  
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, कुल्लू ।

प्रधान,   
छवारा उपसमिति  
(जैव विविधता प्रबंधन कमेटी, न्यूल )

स्वीकृत

  
Divisional Management Unit Officer  
कुल्लू मंडलीय प्रबंधन इकाई (DMU)  
-cum Divisional Forest Officer,  
वन्यप्राणी संरक्षण विभाग, कुल्लू  
Wild Life Division, Kullu

स्वयं सहायता समूह वीर जोगनी (छवारा उप- समिति ) के सदस्य

 <p>Smt. Ramna Devi-Pradhan</p>	 <p>Smt. Laxmi Devi-Secretary</p>	 <p>Smt. Ram Leela-Cashier</p>	 <p>Smt. Champa Devi</p>
 <p>Smt. Bimla Devi</p>	 <p>Smt. Dharma Devi</p>	 <p>Smt. Chuhri Devi</p>	 <p>Smt. Savitra Devi</p>
 <p>Smt. Heema Devi</p>	 <p>Smt. Sharmeela Devi</p>	 <p>Smt. Kirna Devi</p>	 <p>Smt. Suneeta Devi</p>
 <p>Smt. Dinesha Devi</p>	 <p>Smt. Baalma Devi</p>	 <p>Smt. Neeta Devi</p>	 <p>Smt. Vidya Devi</p>
 <p>Smt. Tara Devi</p>	.....	.....	.....

